दिनांक:08.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव पुलिस द्वारा अमर उजाला फाउंडेशन की ओर चलाये जा रहे अभियान "दोस्त पुलिस" कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्राओं को थाना परिसर का भ्रमण कराया गया

- **थाने पहुंच छात्राएँ पुलिस कार्य प्रणाली से हुई रूबरू**
- **थाने में छात्राएं बोली भरोसा रखे – पुलिस है एक अच्छी दोस्त**
- **भ्रमण करने पहुंची सभी छात्राओ का पुलिस ने किया स्वागत**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में नारी सशक्तिकरण/ मिशन शक्ति हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.05.2025 को थाना बडगांव पर अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से चलाये जा रहे अभियान **"दोस्त पुलिस"** कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत कस्बे के आदर्श इण्टर कालेज की छात्राओ ने बडगांव थाने की कार्यशैली को देखा और समझा। इस दौरान थाना बड़गांव पुलिस द्वारा छात्राओ के प्रश्नो का जवाब दिया गया तथा पुलिस ने छात्राओ को महिला सम्बन्धी व अन्य महत्वपूर्ण कानूनों के विषय में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया तथा छात्राओ ने थाने के कम्प्यूटर रूम, कार्यालय, थानाध्यक्ष कार्यालय, शस्त्रागार, हवालात, शौचालय, मैस तथा महिला/पुरूष पुलिस कर्मियो के बैरेकों व अन्य सभी सुविधाओ की जानकारी दी गयी। इस दौरान पुलिस ने छात्राओं को गुड टच बेड टच के बारे में बताया तथा उ0प्र0 सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर जैसे 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 सहित अपराध से बचाव एंव महिला उत्पीड़न की धाराओं के बारे में विस्तार से बताया। छात्राओं को दफ्तर में रखे रजिस्टर तथा उनके रखरखाव व थाना परिसर की साफ सफाई को ठीक तरीके से समझाया गया। इस मौके पर उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी , म0उ0नि0 दीक्षा , महिला कां0 संगीता, आकांक्षा, कंचन सहित स्कूल के प्रधानाचार्य अजब सिंह पुन्डीर, शिक्षिका बबीता, रमेश चौहान, जगदेव सिंह, नरेंद्र सिंह सहित अन्य स्टाफ के लोग मौजूद रहे।

इस दौरान अमर उजाला स्टाफ एव छात्राओ ने क्या कहा

अब से पहले हम लोग हमेशा पुलिस से पुलिस की कार्यशैली को सख्त रूप में देखते रहे है। लेकिन वास्तविकता तो आज समझ में आई कि पुलिस एक अच्छी दोस्त है। इनकी सेवाभाव और अनुशासन देख आज बहुत कुछ सीखने को मिला, यहां पर काम करने के तरीके को पहली बार नजदीक से देखा गया। महिला हेल्प डेस्क ऑफिसर के रोल की अहम जानकारी मिली। **दोस्त पुलिस** कार्यक्रम के जरिये पुलिस को नजदीक से देखने व परखने का पहला अवसर मिला। बड़गांव थाने में महिला डेस्क, कम्प्यूटर रूम, महिला टॉयलेट, महिला जांच अधिकारी रूम सहित सभी सुविधाएं हैं। इसमें महिलाओं के सभी केसों की सुनवाई ठीक तरीके से होती है। महिलाओं के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। पुलिस दोस्त कार्यक्रम के तहत पहली बार थाने का भ्रमण किया है। इसमें कानून की अच्छी जानकारी मिली है। कानून के माध्यम से अब हम अन्य छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे। उ0प्र0 सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। महिला, छात्र/छात्राओं व बच्चों के लिए चलाये जा रहे हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी मिली। इसको मैं अपने घर के सदस्यों के अलावा

बाहर भी साझा करूंगी, जिससे अन्य छात्र/छात्राएं व बच्चे को भी कानून व हेल्पलाइन नम्बरों के प्रति जागरूक किया जा सकें।

कार्यक्रम के दौरान मौजूद पुलिस कर्मी एव अन्य व्यक्तियो का नामः-

1- श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- म0उ0नि0 दीक्षा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4- म0कां0 748 कंचन थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5- म0कां0 775 आकांक्षा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6- म0कां0 79 संगीता थाना बडगांवन जनपद सहारनपुर।
7- श्री अजब सिंह पुन्डीर प्रधानाचार्य आदर्श इण्टर कालिज बडगांव।
8- श्री रमेश चौहान अध्यापक आदर्श इण्टर कालिज बडगांव
9- श्री जगदेव अध्यापक आदर्श इण्टर कालिज बडगांव
10- श्रीमती बबीता अध्यापिका आदर्श इण्टर कालिज बडगांव
11- श्री अशोक पुण्डीर पत्रकार अमर उजाला।
12- श्री नकली सिंह पत्रकार उमर उजाला।

दिनांकः- 08.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के मामले में 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त चरण सिंह पुत्र जयपाल निवासी ग्राम चतरसाली थाना सरसावा सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 604/2024 व मु0अ0स0 23/2002 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम में ग्राम चतरसाली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

चरण सिंह पुत्र जयपाल निवासी ग्राम चतरसाली थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 251 विदोष थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08-05-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा रिकवरी वारण्ट में वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा रिकवरी वारण्ट में 01 वारण्टी **अभियुक्त अय्यूब पुत्र हाजी निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को थाना क्षेत्र गंगोह से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अय्यूब उपरोक्त को विरुद्ध मा0 न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय, सहारनपुर से सम्बन्धित वाद सं0 1348/24 धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर मे कुल 2,70,195 रूपये रिकवरी हेतु तथा वाद सं0 1346/24 धारा 138 एनआई एक्ट चालानी थाना गंगोह जिला सहारनपुर में कुल 5,33,000/रुपये की रिकवरी हेतु आदेशित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पताः-

अय्यूब पुत्र हाजी निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 258 श्री अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 362 श्री अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक: 08.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एंव वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.05.25 को वारण्टी **अभियुक्त शिवकुमार पुत्र इसम सिंह निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को संबंधित मु0अ0सं0 153/95 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना सरसावा निर्गत माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. शिवकुमार पुत्र इसम सिंह निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक 08.05.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा युवती का पीछा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.05.2025 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोहित पुत्र राजेश निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री का स्कूल जाते समय करीब 04 माह से पीछा करने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 97/25 धारा 78(2) भारतीय न्याय संहिता व 11/12 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मनचले/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.05.2025 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्त मोहित पुत्र राजेश निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम खुर्द से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित पुत्र राजेश निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. म0उ0नि0 श्री मोनिका यादव थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 354 संजीव कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0का0 277 आदित्य कुमार थाना जनकपुरी,सहारनपुर।
4. म0का0 1378 तनु शर्मा थाना जनकपुरी, सहानरपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:08.05.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा/01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लाह के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग/ गस्त के दौरान 01 अभियुक्त फरमान पुत्र हसरत निवासी सुल्तान नगर पूर्वी मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी मौ0 इलाहीबक्श ईदगाह रोड नई बस्ती कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को नकुड़ रोड पैंठ चौराहे से बुड्ढाखेड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज तमंचा /01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0-152/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त न बताया कि पुलिस ने मुझसे जो तमंचा बरामद किया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ।

बरामदगी -

- 01 तमंचा / 01 जिंदा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र हसरत निवासी सुल्तान नगर पूर्वी मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी मौ0 इलाहीबक्श ईदगाह रोड नई बस्ती कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुभाष मरोठिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 376 सचिन चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक 08-05-2025

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 03.05.2020 को वादी उप निरी0 श्री रघुनाथ थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त 1. तारा उर्फ इस्तखार पुत्र युनुस निवासी गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के कब्जे से 180 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-218/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया।उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-603/2020 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.05.2025 को तारा उर्फ इस्तखार पुत्र युनुस को मु0अ0सं0-218/2020 में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- उपरोक्त अभियुक्त थाने पर हिस्ट्रीशीटर है (HS NO- 88 A)

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक- उप निरी0 श्री राजकुमार तोमर

पैरोकार का0- 378 बिजेन्द्र थाना फतेहपुर सहारनपुर।

दिनांक 08-05-2025

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 37 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 19.04.2022 को वादीया थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर के साथ अभियुक्तगण 1. अंकित उपाध्याय पुत्र नरेश निवासी साकेत कालोनी,हकीकत नगर थाना सदर बाजार 2. अनुज पुत्र नरेश निवासी उपरोक्त 3. कुसुम पत्नी नरेश निवासी उपरोक्त सहारनपुर के द्वारा वादीया के साथ छेडखानी करना हमला करना व घर में घुसकर मारपीट करना व गाली गलौच करना व धमकी देना अंकित द्वारा जान से मारने की नियत से फायर करना व स्त्री लज्जा भंग करने की सूचना पर मु0अ0स0-225/22 धारा 307,354(क)352,452,323,504,506,509 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-159/23 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 08.05.25 को अभियुक्त अंकित उपाध्याय पुत्र नरेश को मु0अ0स0-225/22 धारा 307,354(क)352,452,323,504,506,509 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्तगण को 05 वर्ष का कारावास व 37 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोटः- अभियुक्त 1अनुज पुत्र नरेश निवासी उपरोक्त 2. कुसुम पत्नी नरेश निवासी उपरोक्त को उपरोक्त वाद में सभी धाराओं में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री मैनीपाल चौधरी
विवेचक- उप निरीक्षक श्री मुकेश दिनकर
पैरोकार का0-929 अकित तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।